

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चूरु आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 17(2)शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24.05.2017 एवं श्रीमान् निदेशक, मा.शि.राज. बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत लेवलवार एवं विषयवार पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैंम्प में उपस्थित रहकर इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

सम्बन्धित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें -

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे।
2. सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
3. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है, उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा में प्रावि/उप्रावि में कार्यरत अध्यापक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हो, ऐसी स्थिति में उन्हें निर्देश प्राप्त कर ही कार्यमुक्त करें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक 15.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें एवं वर्ग विशेष का होने पर उसकी पुष्टि सुनिश्चित करें। सम्बन्धित संस्थाप्रधान इन्हें शाला दर्पण से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवायेंगे।

संलग्न - आदेश संख्या - 01

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चूरु

क्रमांक : जिशिअ/माध्य/चूरु/संस्था-3/फा.समायोजन तृवेअ/लेवल-2/संस्कृत/2017
प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक : 3-6-17

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान् उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु।
5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक चूरु/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जिला-चूरु।
6. सम्बन्धित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चूरु

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा चूरु

क्रमांक : जिशिअ/माध्य/चूरु/संस्था-3/फा.समायोजन तृवेअ/लेवल-2/संस्कृत/2017

दिनांक : 3-6-17

आदेश संख्या - 01

क्र.स.	विद्यालय का नाम	वर्तमान ब्लॉक का नाम	पदनाम	विषय	कार्मिक का नाम	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति/जिले में कार्यग्रहण तिथि	लिंग	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि का नाम	नव पदस्थापन ब्लॉक का नाम	वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रामावि जालेऊ बडी	रतनगढ	L-2	SANS	योगेश्वरी शर्मा	13-10-75	05-04-05	F	राउमावि बालिका राजलदेसर	रतनगढ	-
2	राउमावि राधा छोटी	राजगढ	L-2	SANS	प्रविता	01-01-75	01-10-05	F	रा बालिका उमावि मोहता राजगढ	राजगढ	-
3	रामावि0, जासासर	चूरु	L-2	SANS	सरोज प्रजापत	12-07-83	11-10-07	F	रामावि ढाढरिया बणिरौतान	चूरु	-
4	रामावि पण्डरेऊ टिब्बा	तारानगर	L-2	SANS	सुगंन महला	01-01-83	19-01-08	F	रामावि सादुलपुर	राजगढ	-
5	रामावि गुडावडी	सुजानगढ	L-2	SANS	सरोज देवी	10-10-80	25-01-08	F	रा बालिका कन्नोई उमावि सुजानगढ	सुजानगढ	-
6	राउमावि बिरमसर	रतनगढ	L-2	SANS	नम्रता वर्मा	24-08-81	19-03-08	F	राउमावि बालिका टाटिया सरदारशहर	सरदारशहर	-
7	रामावि खारिया बडा	सुजानगढ	L-2	SANS	श्री शंकरलाल चायल	15-05-85	29-09-10	M	रामावि मगरासर	सुजानगढ	-
8	रामावि गुडावडी	सुजानगढ	L-2	SANS	राजकुमार मेधवाल	19-01-86	15-01-11	M	रामावि सुलखनिया	रतनगढ	-

(तेजपाल उपाध्याय)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चूरु

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चूरु

आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24.05.2017 एवं श्रीमान् निदेशक, मा.शि.राज. बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत लेवलवार एवं विषयवार पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैंम्प में उपस्थित रहकर इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

सम्बन्धित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें -

6. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे।
7. सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
8. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है, उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
9. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
10. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा में प्रावि/उप्रावि में कार्यरत अध्यापक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हो, ऐसी स्थिति में उन्हें निर्देश प्राप्त कर ही कार्यमुक्त करें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक 15.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें एवं वर्ग विशेष का होने पर उसकी पुष्टि सुनिश्चित करें। सम्बन्धित संस्थाप्रधान इन्हें शाला दर्पण से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवायेंगे।

संलग्न - आदेश संख्या - 01

(हस्ताक्षर)
(जिपाल उपाध्याय)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चूरु
दिनांक : 3.6.17

क्रमांक : जिशिअ/माध्य/चूरु/संस्था-3/फा.समायोजन तृवेअ/शाशि/2017

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान् उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु।
5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक चूरु/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जिला-चूरु।
6. सम्बन्धित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चूरु

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा चूरु

क्रमांक : जिशिअ/माध्य/चूरु/संस्था-3/फा.समायोजन तृवेअ/शा.शि./2017

दिनांक : 3-6-17

आदेश संख्या - 01

क्र.स.	विद्यालय का नाम	वर्तमान ब्लॉक का नाम	पदनाम	विषय	कार्मिक का नाम	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति/जिले में कार्यग्रहण तिथि	लिंग	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि का नाम	नव पदस्थापन ब्लॉक का नाम	वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	राउमावि मलसीसर	सुजानगढ़	PTI-III	-	राजैराम	10-11-75	09-06-16	F	रामावि बारा कांजण	राजगढ़	-

(तेजपाल उपाध्याय)
(तेजपाल उपाध्याय)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चूरु

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चूरु

आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 17(2)शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24.05.2017 एवं श्रीमान् निदेशक, मा.शि.राज. बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत लेवलवार एवं विषयवार पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित रहकर (असहमति) विद्यालय का चयन नहीं करने पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

सम्बन्धित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें -

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे।
2. सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
3. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है, उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा में प्रावि/उप्रावि में कार्यरत अध्यापक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हो, ऐसी स्थिति में उन्हें निर्देश प्राप्त कर ही कार्यमुक्त करें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक 15.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें एवं वर्ग विशेष का होने पर उसकी पुष्टि सुनिश्चित करें। सम्बन्धित संस्थाप्रधान इन्हें शाला दर्पण से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवायेंगे।

संलग्न - आदेश संख्या - 01

(तेजपाल उपाध्याय)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चूरु
दिनांक : 3-6-17

क्रमांक : जिशिअ/माध्य/चूरु/संस्था-3/फा.समायोजन तृवेअ/शाशि/2017

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान् उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु।
5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक चूरु/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जिला-चूरु।
6. सम्बन्धित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(तेजपाल उपाध्याय)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चूरु

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा चूरु

क्रमांक : जिशिअ/माध्य/चूरु/संस्था-3/फा.समायोजन तृवेअ/शा.शि./2017

दिनांक : 3-6-17

आदेश संख्या - 01

क.स.	विद्यालय का नाम	वर्तमान ब्लॉक का नाम	पदनाम	विषय	कार्मिक का नाम	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति/जिले में कार्यग्रहण तिथि	लिंग	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान राउमावि/रामावि/रावाउमावि/रावामावि का नाम	नव पदस्थापन ब्लॉक का नाम	वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	राउमावि नेशल	राजगढ	PTI-III	-	राजकुमारी	10-12-77	09-05-06	F	रावामावि इन्द्रमणी, तारानगर	तारानगर	असहमति

(तेजपाल उपाध्याय)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 माध्यमिक, चूरु